न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/101/2019

अपीलार्थी	**बनाम**	**पदाभिहित अधिकारी**
शुभराम पुत्र रामचंद्र, ग्राम–पोस्ट कारोड़ा, बहरोड़, तहसील–बहरोड जिला–अलवर (राज.)		प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 13.11.2019

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011

निर्णय

दिनांकः 27.11.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के कार्यालय में अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना बहरोड़ द्वारा लोकसभा उप चुना0 2018 में 107, 116(3) में पाबंद किया गया था, से संबंधित समस्त पत्रावली जिसमें इस्तगासा, एसडीएम बहरोड द्वारा जारी नोटिस, गैरसायल शुभराम को कराई गई तामिल व गैरसायल को जमानत मुचलके पर छोड़ा गया व भरा गया बन्धक–पत्र की प्रमाणित प्रतियां व समस्त ऑर्डरसीट की प्रमाणित प्रतियों बाबत् प्रार्थना–पत्र दिनांकः 24.10.2019 के माध्यम से अनुरोध किया था।
4. अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र दिनांकः 24.10.2019 पर कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 06.11.2019 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट ए.डी.एम. प्रथम/RGDPSA अपील/2019/917–18 दिनांकः 14.11.2019 के माध्यम से तलब कर इस न्यायालय में दिनांकः 21.11.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। उभयपक्ष के दिनांकः 21.11.19 को न्यायालय में उपस्थित नहीं। पदाभिहित अधिकारी द्वारा पत्रांक 1571–72 दि0 20.11.2019 के माध्यम से अपील के संबंध में अपना जवाब प्राप्त हुआ। जिसको अभिलेख पर लिया गया।
6. हमने प्रथम अपील का अवलोकन किया। उक्त अपील के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रा0पत्र दिनांक 28.10.19 के संलग्नक प्रा0पत्र 21.10.19 पर पदाभिहित अधिकारी को राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 के अंतर्गत सेवा में 03 दिवस के अंदर सेवा प्रदान करनी चाहिए। लेकिन पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रथम अपील पेश करने के पश्चात् पत्रांक 1570 दि0 20.11.2019 के माध्यम से नकल/सूचना उपलब्ध करायी गयी है। किन्तु नकल/सूचना विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी है। जो अधि0 के प्रावाधानों के विपरित है।
7. उक्त आलोक में राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत प्राप्त उक्त प्रथम अपील खारिज की जाती है। परन्तु पदाभिहित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत प्राप्त इस प्रकार के आवेदन का नियत समय–सीमा में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

COURT OF ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)